न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्षण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 300/2022
राजेन्द्र आयु 43 वर्ष हरफूल, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—आवेदक

बनाम

1. श्रीराम पुत्र भगवानाराम, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. हनुमान पुत्र नानग (फौत)

2/1 विघाधर पुत्र हनुमान, जाति चमार, निवासी लाम्बा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

3. जयसिह पुत्र मालाराम
4. वीरसिह पुत्र मालाराम
5. विजय सिंह पुत्र कुरडाराम
   जाति चमार, निवासीगण लाम्बा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
6. मदनलाल पुत्र भगवानाराम
7. किशनलाल पुत्र भगवानाराम
   जाति जाट, निवासीगण लाम्बा, तहासील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
8. तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं।
9. ग्राम पंचायत, लाम्बा जरिये सरपंच
10. उपखण्ड अधिकारी, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—अनावेदकगण

— — —

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राज0 टीनेन्सी एक्ट बाबत स्थानान्तरण प्रकरण उनवानी श्रीराम बनाम हरफूल वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मु0नं0 3/2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिडावा तारीख पेशी 09.09.2022

— — —

उपस्थितः—

1. श्री शिवनारायण सिंह, अभिभाषक— आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री रोताश कुलहरी, अभिभाषक— अनावेदकगण सं0 1 लगायत 7 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अ[illegible] सं0 [illegible]0 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण सं0 9 की तलबी बन्द।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दि[illegible] 28.11.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार [illegible] है कि अप्रार्थी नं0 1 [illegible] ओर से अपने आपको भूमि खसरा नम्बर 470 वाके लाम्बा का कोटिनेन्ट होना बतलाते हुये इसके पश्चिम में खसरा नम्बर 472 वाके ग्राम लाम्बा स्थित होना व इस जमीन के खातेदार शिशपाल, रामलाल, गुलाब व मृतक अप्रार्थी

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

नं0 1 हरफुल का होना बताया। अप्रार्थी नं0 1 ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण संख्या 3/18 प्रस्तुत किये जाने से पुर्व प्रार्थी व अन्य ने अपनी खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 470 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 472 में से रास्ता कायम करवाने के लिए प्रार्थना पत्र उनवानी किशनलाल वगैरह बनाम शीशपाल वगैरह मु0नं0 508/2012 अदालत मातहत ने प्रस्तुत किया जो अदालत मातहत द्वारा दिनांक 04.02.2014 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना बताया। यह भी कथन किया है कि उक्त प्रकरण संख्या 508/2012 के आदेश दिनांक 04.02.2014 के विरूद्ध उक्त शीशपाल, रामलाल, वगैरह ने अपील उनवानी शीशपाल वगैरह बनाम किशनलाल वगैरह मु0नं0 14/2014 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनूं में प्रस्तुत की जो दिनांक 11.06.2014 को स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 04.02.2014 को निरस्त कर दिया गया तथा अप्रार्थी नं0 1 व उक्त किशनलाल को वैकल्पिक रास्ता के कटान में करवाने की स्वतंत्रता दी जाना बताया। उक्त निर्णय दिनांक 11.06.2014 के विरूद्ध उक्त किशनलाल व अप्रार्थी नं0 1 ने निगरानी उनवानी किशनलाल वगैरह बनाम शीशपाल वगैरह मुकदमा नम्बर TA/3358/2014/झुंझुनूं पेश की जो राजस्व मण्डल अजमेर बैंच जयपुर द्वारा दिनांक 25.08.2015 को खारिज कर दी। यह भी उल्लेख किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर बैंच जयपुर के निर्णय दिनांक 25.08.2015 के विरूद्ध अप्रार्थी नं0 1 व उक्त किशनलाल ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में रीट पीटीशन नम्बर 17934/2015 पेश की जिसमें अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 3/2018 के सलग्न किये गये नजरी नक्शा में दर्शित A से B रास्ता को आवेदक नम्बर 1 व उक्त किशनलाल को चौडा करवा सकने के लिए स्वतंत्रता देते हुए उक्त रीट पीटीशन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2017 को खारीज कर दी। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 3/18 में यह उल्लेख किया गया है कि इस प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शित A से B रास्ता की चौडाई 12 फीट करवाने के लिए अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया जाना बताया गया है। अदालत मातहत के समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पिता मृतक हरफुल को पक्षकार बनाया गया है जिसकी दौराने प्रार्थना पत्र मृत्यु होने से प्रार्थी व उनके अन्य वारिसान को पत्रावली के रिकॉर्ड पर लिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र में शीशपाल, रामलाल, व गुलाब को पक्षकार नही बनाया गया है तथा अप्रार्थी नं0 1 द्वारा चाहे गये A से B रास्ते की चौडाई बढाने के लिए जो प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें A से B रास्ता पर प्रार्थी के पिता हरफुल का रिहायशी मकान होने से केवल प्रार्थी के पिता को ही पक्षकार अप्रार्थी नं. 1 बनाया गया है। आगे यह अप्रार्थी ने अदालत मातहत के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में नजरी नक्शा में दर्शित A से B रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने का कथन किया है उक्त A से B रास्ता की चौडाई 5 से 6 फीट होने का कथन करते हुए उसमें ट्रेक्टर, उंटगाडी या अन्य वाहन का नही जा सकना बतलाते हुए इस रास्ता की चौडाई 12 फीट करवाये जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी नं0 1 के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र उसके सलंग्न नजरी नक्शा में विवादित रास्ता A से B जिसे चौडा किये जाने का निवेदन किया गया है। [illegible] नम्बर 465 गैरमुमकिन आबादी में से है। खसरा नम्बर 462 चारागाह बताया गया है का [illegible] कथित रास्ता A से B से नही है। कथित A से B रास्ता के बारे में तहसीलदार [illegible]डावा से मौके [illegible] मगवाई गई जिस पर दिनांक 6.5.2018 को पटवारी हल्का व अन्य पटवारियान [illegible] द्वारा फर्द मौका बनाई गई है जिसके सलंग्न नजरी नक्शा A से B रास्ता खसरा नम्बर [illegible] गै.मु. आबादी में से होना स्पष्ट है। धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानो के अनुसार किसी खातेदार की काश्त की भूमि में आवागमन के लिए किसी अन्य खातेदार की खातेदारी की भूमि में से अत्यान्तिक आवश्यकता पर ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

नजदीकी बिन्दु से रास्ता कायम किये जाने का प्रावधान रखा गया है। उक्त परिस्थितियों में अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही मुकदमा नं0 3/2018 में धारा 251ए अधिनियम के प्रावधान लागू नही होने से प्रार्थी के पिता स्व0 हरफूल की ओर से उन्हे प्रकरण के नोटिस प्राप्त होने के बाद दिनांक 24.08.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी नं0 1 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होना बतलाते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से प्रार्थी के पिता की ओर से प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 25.01.2019 को प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि एक खातेंदार अपनी खातेदारी की जमीन में आवागमन के लिए चारागाह की जमीन में से भी जमीन के बदले कटानी रास्ता प्राप्त कर सकता है। तारीख पेशी दिनांक 07.02.2020 को प्रार्थी के पिता स्व0 हरफूल की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2018 बाबत बहस सुनी जाकर तारीख पेशियां वास्ते आदेश दिनांक 14.02.2020, 28.02.2020, 06.03.2020 व 13.03.2020 दी गई व उसके बाद तारीख पेंशियां दिनांक 12.02.2021 तक मोहर लगाकर दी जाती रही। तारीख पेशी दिनांक 26.02.2021 को अप्रार्थी नं0 1 ने प्रार्थी के पिता स्व0 हरफूल के कायम मुकामान प्रार्थी आदि को पत्रावली के रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। आगामी तारीख पेशी वास्ते जबाब दरख्वास्त दिनांक 26.03.2021 दी जाना प्रकट होता है। तारीख पेशी दिनांक 26.03.2021 को मोहर लगाकर तारीख पेशी दिनांक 09.04.2021 दी गई। दिनांक 09.04.2021 को स्व0 हरफुल के कायम मुकामान प्रार्थी वगैरह की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया जाकर जबाब दरख्वास्त कायम मुकामान दिनांक 16.04.2021 दी जाना व उसके बाद दिनांक 06.08.2021 तक मोहर लगाकर तारीख पेशी दी जाना आदेशिका से प्रकट होता है। फिर लगातार तारीख पेशिया लेते हुए दिनांक 01.04.2022 को अप्रार्थी नं0 1 की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि गैर मुमकिन जोहड अन्य खातेदारी की जोत मे आने से खसरा नम्बर 472 में से 12 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित होना बताया। जबकि मूल प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 3/2018 में खसरा नम्बर 472 में से रासता कायम किये जाने का उल्लेख ही नही है। प्रार्थी की ओर से दिनांक 20.05.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव देते हुए स्पष्ट किया कि पूर्व में दिया गया प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट के बाबत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान तक निर्णय किया जा चुका है, जो अंतिम भी हो चुका है जिसके बाबत अप्रार्थी नं0 1 द्वारा अपने मूल प्रार्थना पत्र में भी हवाला देते हुए सम्पुर्ण तथ्यों को स्वीकार किया गया है। इसलिए अप्रार्थी नं0 1 पुनः खसरा नम्बर 472 की भूमि में से रास्ता कायम करवाये जाने का अब कोई अवसर नही है। तारीख पेशी दिनांक 22.07.2022 को बहस प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहे जाने पर तारीख पेशी 29.07.2022 वास्तें बहस दरख्वास्त दी गई तथा दिनांक 29.07.2022 को आगामी तारीख पेशी 12.08.2022 व उसके बाद 26.08.2022 वास्ते बहस दरख्वास्त दिया जाना बताया व दिनांक 26.08.2022 को भी तारीख पेशी वास्ते दरख्वास्त दिया जाना बतलाते हुए दिनांक 02.09.2022 दी गई। परन्तु दिनांक 26.08.2022 को सायंकाल प्रार्थी के द्वारा अपने अधिवक्ता को टेलीफोन पर सूचना दी गई की आज दिनांक 26.08.2022 को दिन में मौके पर पटवारी वगैरह ने आकर खसरा नम्बर 472 की भूमि [illegible] मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु उपखण्ड अधिकारी चिडावा के द्वारा आदेश दिया जाना [illegible] इस प्रकार किसी आदेश के बाबत प्रार्थी को कोई जानकारी नही दी गई। तारीख पेशी दिनांक [illegible].2022 को प्रार्थी अदालत मातहत में उपस्थित हुआ व मालुमात किया तो फर्द [illegible] प्रस्तुत किया जाना बताया। प्रार्थी की ओर से अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी [illegible] 10 को इस बाबत बताया तो उन्होने कोई प्रार्थी की बात का जबाब न देकर रीडर के पूछने के लिए कहते हुए न्यायालय से उठकर चले गये। अप्रार्थी नं0 1 व उसका लडका अदालत मातहत ने उस समय मौजूद थे जिन्होने प्रार्थी से सरेआम कहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी जितना जोर लगा सके लगाये, अप्रार्थी नं0 1 ने अप्रार्थी नं0 10 से मिलकर पुनः खसरा नम्बर 472 में से रास्ता कायम करवाने के लिए तहसीलदार से फर्द मौका बनवाकर अदालत मातहत के आदेश की पालना करवा दी है तथा अब शीघ्र ही निर्णय अपने पक्ष में करवाने के लिए अप्रार्थी नं0 10 से मिल चुके है। प्रार्थी की ओर से तुरन्त ही दिनांक 02.09.2022 की आदेशिका सहित सम्पूर्ण आदेशिकाओ की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देकर नकले प्राप्त की तो तारीख पेशी दिनांक 02.09.2022 की नकल नही दी गई और कहा गया कि दिनांक 02.09.2022 की आदेशिका बाद मे लिखकर अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर नकल देंगें व दिनांक 02.09.2022 को आगामी तारीख पेशी किस उद्देश्य से दी गई है। उक्त अनुसार दिनांक 02.09.2022 को आदेशिकाओ की नकलें प्राप्त होने पर उनके अवलोकन से प्रार्थी को जानकारी मिली कि अदालत मातहत अप्रार्थी नं0 10 ने तारीख पेशी दिनांक 29.07.2022 को प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी जाना बतालते हुए अप्रार्थी नं0 1 के खसरा नम्बर 470, 471/470 में जाने हेतु नायब तहसीलदार मण्ड्रेला को आदेश दिया जबकि तारीख पेशी दिनांक 29.07.2022 को कोई बहस सुनी ही नही गई तथा आईन्दा बहस प्रार्थना पत्र हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.08.2022, 26.08.2022, व 02.09.2022 वास्ते बहस दरख्वास्त ही बताई गई थी। आदेशिका तारीख पेशी दिनांक 29.07.2022 से अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी नं0 10 ने अप्रार्थी नं0 1 से मिलीभगत कर उक्त अनुसार प्रार्थीकी पीठ पीछे बिना सुनवाई किये मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विधि विरूद्ध आदेश दिया तथा इन परिस्थितियो में अप्रार्थी नं0 10 जैसे पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद किसी भी सुरत में नही की जा सकती। अप्रार्थी नं0 10 अपने भ्रष्ट आचरण के लिए आम जनता में चर्चित है। पीठासीन अधिकारी महोदय अप्रार्थी नं0 10 के उक्त आचरण से प्रार्थी जैसा सामान्य व्यक्ति को न्याय मिलने में आंशका (Apprehension) होना स्वभाविक है, न न्याय मिलने की कोई आशा ही की जा सकती । इसलिए अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन प्रकरण उनवानी श्रीराम बनाम हरफुल वगैरह मु0नं0 3/2018 को किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है जिससे प्रार्थी के साथ अन्याय ना हो सके। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी श्रीराम बनाम हरफूल वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट, मु0नं0 3/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से तलब किया जाकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने पत्रांक 683 दिनांक 22.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है, और शेष प्रश्न में पत्रावली वकील पक्षकारान के द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश किया गया था, जिसकी प्रार्थी को जानकारी थी। बिन्दु संख्या 2 में वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 में वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है, और प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप झुठे होने से अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तथ्य [illegible] होने से अस्वीकार है, और प्रार्थी शीघ्र उक्त प्रकरण में देरी करना चाहता है, और [illegible] उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपति नही है। बिन्दु संख्या 5 व 6 कानूनी है जबाब की आवश्यकता नही है। यह है कि आवेदक द्वारा उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय में करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 16:43:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.08.2022 को सांयकाल प्रार्थी के द्वारा अपने अधिवक्ता को टेलीफोन पर सूचना दी गई की आज दिनांक 26.08.2022 को दिन में मौके पर पटवारी वगैरह ने आकर खसरा नम्बर 472 की भूमि में रास्ता कायम किये जाने बाबत मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु उपखण्ड अधिकारी चिडावा के द्वारा आदेश दिया जाना बताया जबकि इस प्रकार किसी आदेश के बाबत प्रार्थी को कोई जानकारी नही दी गई। तारीख पेशी दिनांक 02.09.2022 को प्रार्थी अदालत मातहत में उपस्थित हुआ व मालुमात किया तो फर्द मौका रिपोर्ट न्यायालय मातहत में प्रस्तुत किया जाना बताया। प्रार्थी की ओर से अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी नं0 10 को इस बाबत बताया तो उन्होने कोई प्रार्थी की बात का जबाब न देकर रीडर के पूछने के लिए कहते हुए न्यायालय से उठकर चले गये। अप्रार्थी नं0 1 व उसका लडका अदालत मातहत ने उस समय मौजूद थे जिन्होने प्रार्थी से सरेआम कहा कि प्रार्थी जितना जोर लगा सके लगाये, अप्रार्थी नं0 1 ने अप्रार्थी नं0 10 से मिलकर पुनः खसरा नम्बर 472 में से रास्ता कायम करवाने के लिए तहसीलदार से फर्द मौका बनवाकर अदालत मातहत के आदेश की पालना करवा दी है तथा अब शीघ्र ही निर्णय अपने पक्ष में करवाने के लिए अप्रार्थी नं0 10 से मिल चुके है। प्रार्थी की ओर से तुरन्त ही दिनांक 02.09.2022 की आदेशिका सहित सम्पूर्ण आदेशिकाओ की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देकर नकले प्राप्त की तो तारीख पेशी दिनांक 02.09.2022 की नकल नही दी गई और कहा गया कि दिनांक 02.09.2022 की आदेशिका बाद मे लिखकर अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर नकल देंगें व दिनांक 02.09.2022 को आगामी तारीख पेशी किस उद्देश्य से दी गई है। उक्त अनुसार दिनांक 02.09.2022 को आदेशिकाओ की नकलें प्राप्त होने पर उनके अवलोकन से प्रार्थी को जानकारी मिली कि अदालत मातहत अप्रार्थी नं0 10 ने तारीख पेशी दिनांक 29.07.2022 को प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी जाना बतालते हुए अप्रार्थी नं0 1 के खसरा नम्बर 470, 471/470 में जाने हेतु नायब तहसीलदार मण्ड्रेला को आदेश दिया जबकि तारीख पेशी दिनांक 29.07.2022 को कोई बहस सुनी ही नही गई तथा आईन्दा बहस प्रार्थना पत्र हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.08.2022, 26.08.2022, व 02.09.2022 वास्ते बहस दरख्वास्त ही बताई गई थी। आदेशिका तारीख पेशी दिनांक 29.07.2022 से अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी नं0 10 ने अप्रार्थी नं0 1 से मिलीभगत कर उक्त अनुसार प्रार्थीकी पीठ पीछे बिना सुनवाई किये मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विधि विरूद्ध आदेश दिया तथा इन परिस्थितियो में अप्रार्थी नं0 10 जैसे पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद किसी भी सुरत में नही की जा सकती। अप्रार्थी नं0 10 अपने भ्रष्ट आचरण के लिए आम जनता में चर्चित है। पीठासीन अधिकारी महोदय अप्रार्थी नं0 10 के उक्त आचरण से प्रार्थी जैसा सामान्य व्यक्ति को न्याय मिलने में आंशका (Apprehension) होना स्वभाविक है, न न्याय मिलने की कोई आशा ही की जा सकती । इसलिए अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन प्रकरण उनवानी श्रीराम बनाम हरफुल वगैरह मु0नं0 3/2018 को किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है जिससे प्रार्थी के साथ अन्याय ना हो सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी श्रीराम बनाम हरफूल वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 25 ... मु0नं0 3/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से तलब किया जाकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:23 IST
Reason: SelfAttested

अप्राथी सं 9 की तलबी बन्द की जाकर अप्राथी सं 9 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत मे पत्रावली जबाब/बहस मे विचाराधीन है। न्याय मे देरी के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरकरण पेश किया गया है। कोई ठोस कारण प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे नही बताये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 8 व 10 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र मे कोई विशिष्ट कारण नही बतायें है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा मे विचाराधीन प्रकरण उनवानी श्रीराम बनाम हरफूल वगैरह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मु0नं0 3/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:23 IST
Reason: SelfAttested